न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर ए एस
मुकदमा नम्बर :—195/2023 राजस्व वाद

1. केसु पुत्र श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपी पुत्र श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजू पुत्र श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. हरकू देवी पुत्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सतोष देवी पुत्री श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. सायरी पुत्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. रूकमण पुत्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. काना उर्फ कन्हैया लाल पुत्र मदरूप गुर्जर आयु वयस्क निवासी—डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. पारसी पुत्री मदरूप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. सीमा पुत्री मदरूप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. छग्गु देवी पत्नी मदरूप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. दलीचन्द पुत्र श्री प्रभु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. कन्कू देवी पुत्री श्री प्रभु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. घीसी देवी पुत्री श्री प्रभु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. नारायण पुत्र श्री सवाईराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. रोशन पुत्र श्री सवाईराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. छीतर पुत्र श्री सवाईराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
18. शानु देवी पुत्री सवाईराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
19. सोहनी पत्नी सवाईराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र श्री लालु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. लाडु देवी पुत्री श्री लालु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. टम्मु देवी पुत्री श्री लालु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. पप्पुडी देवी पुत्री श्री लालु गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सरजु देवी पत्नी श्री गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. कमला देवी पुत्री श्री गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. प्रेम देवी पुत्री श्री गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. नाथू पुत्र श्री गोकुल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. केसी पुत्री श्री गोकल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. काना पुत्र श्री बालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. मांगी पत्नी श्री बालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. मेवा पुत्र श्री भागा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. हरदेव पुत्र श्री भागा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. गोमी बाई पत्नी भागा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. गंगा देवी पुत्री श्री भागा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. राजी देवी पुत्री श्री भागा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. जमना देवी पुत्री श्री भागा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
18. लेहरू पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
19. भंवर पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
20. शम्भू पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
21. रामकन्या देवी पुत्री श्री सूरजमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
22. शोभाराम पुत्र श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
23. देवा पुत्र श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
24. ईश्वर पुत्र श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
25. दल्लु देवी पुत्री श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
26. मांगी लाल पुत्र श्री मूली गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
27. शोभा लाल पुत्र श्री छीतर गुर्जर आयु वयस्क निवासी— डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

28. जगदीश पुत्र श्री रायमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
29. नारायण पुत्र श्री रायमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
30. लाडु पुत्री श्री रायमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
31. मेमा पुत्री श्री रायमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
32. पीसु देवी पत्नी श्री रायमल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
34. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क,188 आर.टि.एक्ट

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार तंवर —अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय ——प्रतिवादी सं. 01 लगायत 32
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 33 व 34

:: निर्णय :: दिनांक–20.08.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बावत घौषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा वादपत्र के साथ परिशिष्ट अ के रूप मे संलग्न किया है, जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। राजस्व ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद मे साबिक बंदोबस्त की आराजी सख्या 3400/5 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3396 एवं 3402/1 रकबा 07 बीघा एंव आराजी नम्बर 3403 रकाव 43 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 59 बीघा भूमि स्थित है, संवत 2017 से 2020 से जमावंदी मे रामा, गेना, भैरू प्रताप पिता गोमा, गोकल पिता किशना, छितर पिता हीरा गुर्जर निवासी– डेलास के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार के सजरे परिशिष्ट अ के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मुख्य पुरूष गोमा गुर्जर थे, जिनके जिनके 6 पुत्र किशना, भैरू, रामा, गेना, हीरा प्रताप हुए। वादीगण संलग्न सजरा परिशिष्ट अ के अनुसार भेरू गुर्जर के विधिक वारीसान हे तथा प्रतिवादी संख्या 01 09 किशना के विधिक वारीसान हे तथा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 17 रामा के विधिक वारीसान हे तथा प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 32 हीरा के विधिक वारीसान है व प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 26 प्रताप के विधिक वारीसान है। बंदोवस्त पूर्व की उक्त आराजी सख्या 3400/5 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3396 एवं 3402/1 रकबा 07 बीघा एंव आराजी नम्बर 3403 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 59 बीघा के हाल आराजी नम्बर 7873 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 7874 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 7881 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 7883 रकबा 05 बीघा, आराजी नम्बर 7884 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 7885 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 7886 रकबा 07 बीघा, आराजी नम्बर 7887 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 7888 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 7889 रकबा 03 बीघा, आराजी नम्बर 7890 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 7891 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा कायम हुए, उपरोक्त वर्णित आराजिया को आगे वाद मे वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। बंदोबस्त पूर्व की आराजिया तमे वादीगण के पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज था, लेकिन बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान वादीगण के पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा का नाम बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो एवं राजस्व अधिकारीयो के द्वारा दर्ज करने से रह गया, जबकि वादग्रस्त आराजियात मे भैरू पुत्र श्री गोमा का 1/6 हिस्सा दर्ज था, तदनुसार ही वादीगण का 1/6 हिस्सा है, तदनुसार ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। लेकिन बंदोबस्त कार्यवाही के दोरान हुए उक्त त्रूटिपूर्ण इन्द्राज के कारण भैरू पुत्र श्री गोमा गुर्जर का नाम आगे के राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज होने से रह गया। इस कारण बंदोबस्त पश्चात जो हाल नम्बर कायम हुए उनमे वादीगण के पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा का नाम दर्ज नही हो पाया तथा भैरू का निधन हो गया , उसके हजारी एवं प्रभु हुए तथा वादीगण हजारी एवं प्रभु गुर्जर के विधिक वारीसान हे तथा वादग्रस्त आराजिया तमे भैरू पुत्र श्री गोमा गुर्जर का 1/6 हिस्सा था, तदनुसार वादीगण का 1/6 हिस्सा है तथा वादीगण हिस्से अनुसार मौके पर काविज चले आ रहे है। गोमा गुर्जर के सभी 6 पुत्रो का निधन हो गया

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादीगण भैरू के वारीसान है। प्रतिवादीगण किशना, रामा, मेना, हीरा, प्रताप गुर्जर के विधिक वारीसान रामा, मेना, प्रताप, गोकल, हीरा आदि का निधन हो गया है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे उनके वारीसान का नाम दर्ज नही हुआ है, इस कारण से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा परिशिष्ट अ के अनुसार ही वादीगण एंव प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात मे हक हिस्सा दर्ज है। बंदोबस्त पूर्व की जमाबंदी मे वादीगण के पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा का 1/6 हक हिस्सा दर्ज था, जो हाल रेकार्ड मे बंदोबस्त पश्चात दर्ज नही हो पाया, इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उनके पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा का हिस्सा बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो एंव राजस्व अधिकारीयो की गलती के कारण छूट गया है, बंदोबस्त पश्चात रेकार्ड मे दर्ज नही हो पाया है। इस कारण सहमति के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे भैरू पुत्र श्री गोमा का हिस्सा दर्ज करवाते हुए वादीगण का नाम इन्द्राज करवावे। लेकिन प्रतिवादीगण इस बाबत इकार हो गये। पश्चात वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 33 के यहां भी उनके पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा का नाम दर्ज करते हुए वादीगण का नाम रेकार्ड मे दर्ज करने बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार साहब करेड़ा ने वादीगण को कहा कि उक्तानुसार इन्द्राज मे त्रुटि हुए काफी समय हो गया है, इस कारण से घोषणात्मक अनुतोष की डिक्री के बिना उक्तानुसार संशोधन नही हो पायेगा। इस कारण वादीगण को यह वादपत्र वादग्रस्त आराजियात मे वादीगण का 1/6 हिस्सा है, तदनुसार 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बाबत एवं राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। दिनाक 28/06/2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे सहमति से इन्द्राज को साही करावे, लेकिन प्रतिवादीगण इकार हो गये एवं उन्होने वादीगण को धमकी दी कि वे वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही करवायेग एवं आराजियात को अन्य को विक्रय, हस्तांतरण खुर्द बुर्द एवं भारित करेगे तथा वादीगण को काबिज नही रहने देगे। वादीगण को बेदखल करके रहेगे। इस कारण से वादीगण को वादग्रस्त आराजियात मे 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने तदनुसार रेकार्ड मे इन्द्राज कराये जाने व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 32 द्वारा वादग्रस्त आराजियात को अन्य को विक्रय, हस्तांतरित एव खुर्द बुर्द नही करने व वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 27 के अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं एंव प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 32 की ओर से अधिवक्ता श्री भागुलाल गुर्जर द्वारा अधिकारपत्र मयजवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं वकीलवादी ने साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र एवं साविक रेकॉर्ड जमाबंदी, मिलान खसरा व वर्तमान जमाबंदी दस्तावेजात पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 32 साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु प्रकरण में उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 32 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, जिससे प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वकीलवादी ने एकतरफा बहस करने का निवेदन किया गया,

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई व अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि वादीगण के पूर्वज भैरू गुर्जर के जमाने की होकर पुश्तेनी होने व साविक राजस्व रेकर्ड मे भैरू गुर्जर का नाम दर्ज होने व दौराने भू प्रबंध कार्यवाही राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादीगण के पूर्वज भैरू गुर्जर का नाम विलोपित कर देने से वादीगण को 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 7873 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 7874 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 7881 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 7883 रकबा 05 बीघा, आराजी नम्बर 7884 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 7885 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 7886 रकबा 07 बीघा, आराजी नम्बर 7887 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 7888 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 7889 रकबा 03 बीघा, आराजी नम्बर 7890 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 7891 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा जिसके साविक आराजी सख्या 3400/5 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3396 एवं 3402/1 रकबा 07 बीघा एंव आराजी नम्बर 3403 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 59 बीघा हे, जो साविक रेकार्ड मे वादीगण के पूर्वज भैरू पुत्र श्री गोमा गुर्जर का नाम दर्ज है, लेकिन वाद सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही के कारण उनका नाम दर्ज नही हुआ है। इस कारण वादीगण को 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व वादीगण का 1/6 हक हिस्सा वादीगण के नाम पर दर्ज करवाया जाना व वादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। यत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 7873 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 7874 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 7881 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 7883 रकबा 05 बीघा, आराजी नम्बर 7884 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 7885 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 7886 रकबा 07 बीघा, आराजी नम्बर 7887 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 7888 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 7889 रकबा 03 बीघा, आराजी नम्बर 7890 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 7891 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा, गेना, प्रताप, गोकल, छीतर के साथ वादीगण को 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं उपरोक्त खातेदारान रामा, गेना, प्रताप, गोकल, छीतर के वारीसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 को 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 17 को 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 21 को 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 26 को 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 32 को 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम 1/6 हक हिस्से के रूप मे दर्ज किया जावे व प्रतिवादीगण वादीगण के 1/6 हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा